न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 19/2024
अनवान :–

1. झण्डुराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र जीसुख राम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र मुकनाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. गुलाब पुत्री जीसुखराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. चुसी पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नाथी पत्नी दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. निकुराम पुत्र मालुराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. भारती पुत्री जीसुख रमा जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. मन्जु पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. मनफुल राम उर्फ फुलाराम पुत्र मुकना जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर
11. महेन्द्र पुत्र जीसुख जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. महावीर पुत्र जीसुखराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजु पुत्र दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. रामप्यारी पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. लालचन्द पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
16. सन्तोष पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
17. सिलोचना पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
18. राजेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
19. रामेश्वरलाल पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
20. रामस्वरूप पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अविक्ता सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, गेरसायल
निर्णय दिनांक : 11/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 303/392 (28) के किला न0 8/2 ता 12 की 0.9495हैक भूमि प्रार्थी/सायल की खातेदारी भूमि है।

गैरसायल संख्या 1 ता 17 की सयुक्त खाता रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 96/96 के प0न0 302/392(29) के किला न0 16 ,17 ,23 ता 25 व प0न0 302/393(38) के किला न0 3/1 ,4/1 ,4/2 ,प0न0 303/392 (28) के किला न0 13 ,16/1 ,17 ता 2[illegible] है।

रोही मौजा चक 6 आरपी[illegible] के खाता संख्या 155/136 के प0न0 302/392(29) के किला [illegible] 393(38) के किला न0 1/1 ,1/2 ,2/1 ,2/2 व 9 ,10 प0न0 303/392(28) के किला न0 [illegible] ,21 ता 25 कुल 3.1652 हैक भूमि गैरसायल संख्या 18 ता 20 की सयुक्त खाते में खातेदारी भूमि दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल/प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मोजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 303/392 (28) के किला न0 8/2 ता 12 की 0.9495हैक्ट में से नजदीक व सुविधाजन रास्ता उपलब्ध नही हे जिस कारण अपनी खातेदारी भूमि में फसल काश्त करने में परेशानी होती है सायल /प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता गैरसायलान संख्या 1 ता 17 के प0न0 303/392(28) के किला न018 ता 20 की किला न0 21 की पूर्वी पासा की 1 बिश्वा भूमि जो उतर से दक्षिणी है तथा मंजुरशुद्वा रास्ता से टकराती है मंजुर करवा पाने का अधिकारी है जिसके बदले में भूमि अथवा मुआवजा राशि देने का तेयार है

सायल सदामत से इसी रास्ते से आवागमन करता आ रहा है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही सबसे नजदीकी व सुविधाजन रास्ता है इसलिये सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

सायल ने गैरसायलान को उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 303/392(28) के किला न0 19 की पूर्वी पासा जो गेरसायल संख्या 1 ता 17 की सयुक्त खाता की ळे तथा किला न0 21 की पूर्वी पासा की जो गैरसायल संख्या 18 ता 21 की सयुक्त खाता की भूमि है में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गेरसायल संख्या 3 ता 10, 12 ता 17 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई ,गैरसायल संख्या 1 ,2 ,11 ,18 ता 20 की और से नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थी/सायल का अपनी सम्पूर्ण भूमि का ज्ञान नही है ना ही अपने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों का अंकन किया गया है प्रार्थी रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 302/392(29) के किला न0 19 ,20/2 से होकर किला न0 16 ता 18 दक्षिण साईड में से होकर किला न0 20 के दक्षिण पूर्वी कोने अपने खेत में प्रवेश कर जाते है प्रार्थी हमेशा से ही इसी रास्ता से आवागमन करता है यही रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है

प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण के नाम कि भूमि में जिन किला नम्बर की भूमि में चालू होना बता रहा है वह रास्ता ना तो कभी चालू था ना अब है बल्कि वहा पर हम सदा से ही फसल काश्त करते है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र समस्त तथ्य मनगढत झुठे व मनमर्जी से अंकित किये जाने के कारण चलने योग्य नही है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के विरूद्व हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है तथा बैटर प्रटिकुलर रिजन के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मोजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 302/392(29) के किला 19 ,20/2 से होकर किला न0 16 ता 18 की दक्षिण साईड मे से होकर किला न0 20 के दक्षिण पूर्वी कोने अपने खेत में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता से आवागमन करता है अन्य रास्ता प्रार्थी स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:43 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल का जबाब शामिल पत्रावली किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अंतिम बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल की खातेदारी भूमि में जाने के लिये रोही मौजा चक 6 आरपीएम के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 303/392(28) के किला न0 19 की पूर्वी पासा जो गेरसायल संख्या 1 ता 17 की सयुक्त खाता की ळे तथा किला न0 21 की पूर्वी पासा की जो गैरसायल संख्या 18 ता 21 की सयुक्त खाता की भूमि में है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये पूर्व से ही रास्ता रोही मोजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 302/392(29) के किला 19 ,20/2 से होकर किला न0 16 ता 18 की दक्षिण साईड मे से होकर किला न0 20 के दक्षिण पूर्वी कोने अपने खेत में प्रवेश कर जाते है उपलब्ध है यही रास्ता से आवागमन करता है अन्य रास्ता प्रार्थी स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 303/392 (28) के किला न0 8/2 ता 12 की 0.9495हैक्‍ भूमि प्रार्थी/सायल की खातेदारी भूमि है।

गैरसायल संख्या 1 ता 17 की सयुक्त खाता रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 96/96 के प0न0 302/392(29) के किला न0 16 ,17 ,23 ता 25 व प0न0 302/393(38) के किला न0 3/1 ,4/1 ,4/2 ,प0न0 303/392 (28) के किला न0 13 ,16/1 ,17 ता 20 कुल 3.1652हैक्‍ भूमि दर्ज है।

रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 155/136 के प0न0 302/392(29) के किला न0 18 ,21 ,22 प0न0 302/393(38) के किला न0 1/1 ,1/2 ,2/1 ,2/2 व 9 ,10 प0न0 303/392(28) के किला न0 16/2 ,21 ता 25 कुल 3.1652 हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 18 ता 20 की सयुक्त खाते में खातेदारी भूमि दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल की खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये रोही मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 303/392(28) के किला न0 19, 21 के पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेद रोही मोजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 172/151 के प0न0 302/392(29) के किला 19 ,20/2 से होकर किला न0 16 ता 18 की दक्षिण साईड मे से होकर किला न0 20 के दक्षिण पूर्वी कोने अपने खेत में प्रवेश करने का रास्ता उपलब्ध हे अन्य रास्ता पाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार गैरसायल का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि गैरसायल के द्वारा बताया गया रास्ता लम्बा में अधिक दुरी पर है जो स्वीकृत रास्ता से सीधा जुडता भी नही है जबकि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से दो किला की दुरी पर सीधा रास्ता उपलब्ध हो सकता है अर्थात गैरसायल के द्वारा कथन किये गये रास्ते से कम दुरी पर एव सीधा स्वीकृत रास्ता से जुडता है।

तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मौज चक 6 आरपीएम के प0न0 302 की पत्थर लाईन पर गैर मुमकिन खाला चालू है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है परन्तु मौके पर चालू है अर्थात खाला के साथ रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही है।

रोही मौजा चक 6 आरपीएम व 5 आरपीएम के मध्य पत्थर लाइन प0न0 303/393 (60) के किला न0 1 ता [illegible] कटानी रास्ता उपलब्ध है प्रार्थी ने रोही मौजा चक 6 आरपीएम के [illegible] 303/392(28) के किला न0 19 ,21 में पूर्वी पासा से 1–1 बिश्वा रास्ता चाहा है जबकि [illegible] 303/392(28) के किला न0 20–21 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1–1 बिश्वा रास्ता उपलब्ध है जो लम्बाई में कम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:36:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता रोही मोजा चक 6 आरपीएम के प0न0 303/392 के किला न0 19–21 के पूर्वी पास से 1–1 बिश्वा के स्थान पर प0न0 303/393(28) के किला न0 20–21 की पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और 1–1 बिश्वा छोटा एवं लम्बाई में कम रास्ता उपलब्ध है जो सायल के लिये सुविधाजनक है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/ नजरीय नक्शा अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे सुविधा जनक रास्ता रोही मौजा चक 6 आरपीीएम के प0न0 303/393(28) के किला न0 20–21 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और सबसे छोटा एव सीधा एव स्वीकृत रास्ता से सबसे कम दुरी पर दिया जा सकता है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता के स्थान पर उक्त रास्ता दिया जाना न्यायसगंगत है।

हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता के स्थान पर मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सबसे छोटा एवं मौका स्थिति अनुसार उपयुक्त है जिससे अन्य काश्तकारों के हित भी प्रभावित नही होते है जिसे सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 303/393(28) किला न0 20 –21 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/2/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 158 दिनांक 12/02/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 19 सन 2024 निर्णय दिनांक 11/02/2025

अनवान :–

1. झण्डुराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1 ओमप्रकाश पुत्र जीसुख राम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र मुकनाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. गुलाब पुत्री जीसुखराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. चुसी पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नाथी पत्नी दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. निकुराम पुत्र मालुराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. भारती पुत्री जीसुख रमा जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. मन्जु पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. मनफुल राम उर्फ फुलाराम पुत्र मुकना जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर
11. महेन्द्र पुत्र जीसुख जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. महावीर पुत्र जीसुखराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजु पुत्र दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. रामप्यारी पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. लालचन्द पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
16. सन्तोष पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
17. सिलोचना पुत्री दुनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
18. राजेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम तह. नोहर
19. रामेश्वरलाल पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6 आरपीएम।
20. रामस्वरूप पुत्र श्रीराम जाति नायक निवासी चक 6आरपीएम त. नोहर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 19 / 2024 अनवानी झिण्डुराम बनाम ओमप्रकाश में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के प0न0 303 / 393(28) किला न0 20 –21 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की और 1–1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर